(छ) *"विहित"* से समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) *"लोक प्राधिकारी"* से निम्न द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वयं सरकार की संस्था अभिप्रेत है,—

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद् द्वारा बनायी गयी किसी अन्य विधि द्वारा;

(ग) राज्य विधानमण्डल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य विधि द्वारा;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा, और इसमें शामिल होता है—

(i) कोई भी स्वामित्वाधीन, नियंत्रित या सारभूत रूप से वित्तकृत निकाय;

(ii) सारभूत रूप से वित्तकृत गैर-सरकारी संगठन,

जो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: समुचित सरकार द्वारा निधियों द्वारा उपबंधित हो;

(झ) *"अभिलेख"* में शामिल होता है—

(i) कोई दस्तावेज, हस्तलेखन और फाईल;

(ii) कोई माइक्रो फिल्म, माइक्रो फिचे और दस्तावेज की फैक्सीमाइल प्रति;

(iii) ऐसी माइक्रोफिल्म में उत्कीरित छवि या छवियों का कोई उदधृरण (चाहे बढाया गया हो या नहीं); और

(iv) कम्प्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य सामग्री;

(ञ) *"सूचना का अधिकार"* से इस अधिनियम के अधीन प्राप्त करने योग्य सूचना का अधिकार अभिप्रेत है, जिसे किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियन्त्रण के अधीन धारित किया जाता है और इसमें निम्न के लिए अधिकार शामिल होता है—

(i) संकर्म, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, उदधृरण या प्रमाणित प्रतियां लेना;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूनें लेना;

(iv) डिस्क, फ्लोपी, टेप, विडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके में या प्रिन्टआउट के जरिये सूचना प्राप्त करना, जहां ऐसी सूचना कम्प्यूटर में या किसी अन्य उपकरण में संचित की जाती है;

(ट) *"राज्य सूचना आयोग"* से धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ठ) *"राज्य मुख्य सूचना आयुक्त"* और *"राज्य सूचना आयुक्त"* से धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ड) *"राज्य लोक सूचना अधिकारी"* से धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन नामनिर्देशित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन नामनिर्देशित सहायक लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है;

(ढ) *"पक्षेतर"* से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें लोक प्राधिकारी भी शामिल होता है।

टिप्पणी

—धारा 2—लोक प्राधिकरण की परिभाषा—क्या विश्वविद्यालय लोक प्रधिकरण की परिभाषा के अन्तर्गत आता है?—भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय लोक प्राधिकरण होते हुए 'लोक प्राधिकरण' की परिभाषा के अन्तर्गत आता है इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम विश्वविद्यालय पर लागू होता है—अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय सूचना देने हेतु बाध्य है।—*Shivanna Naik vs. Banglore University & Anr.*, AIR 2006 NOC 145 (Kant.).

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

धारा 3. सूचना का अधिकार.—इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सभी नागरिकों के पास सूचना का अधिकार होगा।

धारा 4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं.—(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी—

(क) ऐसे तरीके और प्ररूप में अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीबद्ध और सारणीबद्ध रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना का अधिकार सुगम करता है और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अभिलेख, जो

कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु युक्तियुक्त है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, कम्प्यूटरीकृत हैं और पूरे देश में अलग-अलग प्रणालियों पर नेटवर्क के जरिये जुड़े हैं, ताकि ऐसे अभिलेखों तक पहुंच सुगम की जा सके;

(ख) इस अधिनियम की अधिनियमिति से एक सौ बीस दिनों के भीतर निम्नलिखित प्रकाशित करेगा,—

(i) इसके संगठन, कार्यों और कर्त्तव्यों के विवरण;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य;

(iii) विनिश्चय करने वाली प्रक्रिया में अनुसरित प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के चैनल शामिल है;

(iv) अपने कार्यों के निवर्हन के लिए इसके द्वारा स्थापित मानक;

(v) इसके नियन्त्रण के अधीन या इसके द्वारा धारित या इसके कार्यों के निवर्हन के लिए इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका और अभिलेख;

(vi) उन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण, जो इसके द्वारा या इसके नियन्त्रण के अधीन धारित होते हैं;

(vii) किसी व्यवस्था के विवरण, जो अपनी नीति के नियमन या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों की सलाह के लिए या उनके द्वारा प्रतिवेदन के लिए विद्यमान होते हैं;

(viii) मण्डलों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, जिसमें इसके भाग के रूप में दो या अधिक व्यक्ति गठित करते हैं, या इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए, और कि क्या उन मण्डलों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए पहुंचने योग्य हैं;

(ix) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की डायरेक्टरी;

(x) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में उपबंधित अनुसार प्रतिकर की प्रणाली शामिल है;

(xi) किये गये वितरणों पर सभी प्लानों, प्रस्तावित व्यय और रिपोर्टों के विवरण दर्शाते हुए इसकी एजेंसी में से प्रत्येक को आवंटित बजट;

(xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशियां और ऐसे कार्यक्रमों के हितग्राहियों का विवरण शामिल है;

(xiii) इसके द्वारा स्वीकृत छूटों, परमिटों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के विवरण;

(xiv) इलेक्ट्रॉनिक रूप में की गयी, इसे उपलब्ध या इसके द्वारा धारित, सूचना के सम्बन्ध में विवरण;

(xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें लाइब्रेरी या अध्ययन-कक्ष के कार्य-समय शामिल है, यदि जनता के उपयोग के लिए रखा गया हो;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य वर्णन;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जिसे विहित किया जाये,

और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष इन प्रकाशनों को आद्यतन करेगा; update

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों को विनियमित या ऐसे विनिश्चय, जो जनता को प्रभावित करे, घोषित करते समय सभी सम्बन्धित तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्द्ध-न्यायिक विनिश्चयों के लिए कारण प्रदान करेगा।

(2) संसूचना के विभिन्न साधनों, जिसमें इन्टरनेट शामिल है, के जरिये नियमित अन्तरालों पर जनता को स्वप्रेरणा से सूचना प्रदान करने के लिए उप-धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाओं की अनुपालना में उपाय करना प्रत्येक लोक प्राधिकारी का लगातार प्रयास रहेगा, ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का न्यूनतम प्रयोग करना पड़े।

(3) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना व्यापक रूप से और ऐसे प्ररूप तथा तरीके में प्रचारित की जायेगी जो सरलता से जनता तक पहुंच सके।

(4) सभी सामग्रियां लागत प्रभावित, स्थानीय भाषा और उस स्थानीय क्षेत्र में संसूचना का अत्यधिक प्रभावी तरीका